तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 178/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/300) बअनवान डां. दिलीप कच्छवाह व अन्य बनाम महावीर इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

डां. दिलीप कच्छवाह व अन्य

बनाम

महावीर इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री सिद्धार्थ परिहार अपीलांट्स
2. श्री स्वर्णसिंह चम्पावत, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 2

आदेश

दिनांक 18.03.2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर बावड़ी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 99/2020 अनवान डां. दिलीप कच्छवाह बनाम महावीर इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 24 मई 2024 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 22 जुलाई 2024 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 416/21 जोधपुर-नागौर रोड़ पर स्थित है, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या एक की भूमि इससे बहुत दुर है। रेस्पोडेंट द्वारा राजस्व नक्शे में गलत तरमीम करवा ली गई एवं उसकी दुरुस्ती हेतु ही अपीलार्थीगण द्वारा वाद पेश किया गया है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उसी गलत नक्शे की तरमीम को आधार मानकर अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 178/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/300) बअनवान डां. दिलीप कच्छवाह व अन्य बनाम महावीर इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय के समक्ष अपने बेचान पत्र की नकल पेश की गई, जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई बेचाननामा पेश नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट ने सही तथ्यो को छुपाया है एवं गलत जवाब पेश किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या एक का नाम राजस्व रेकर्ड में एक बेनामी बेचाननामें के आधार पर दर्ज किया गया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने उक्त बेचाननामा पत्रावली पर पेश नहीं किया है। रेस्पोडेन्ट के नाम वाद की सुनवाई का जो नोटिस जारी किया गया है, उस नोटिस की तामील हुए बिना ही रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से किसी अन्य व्यक्ति ने अपने आपको रेस्पोडेन्ट संख्या एक का आम मुख्तयार बताते हुए जबाब पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या एक का पता राजस्व रेकर्ड में गंगानगर का लिखा हुआ है, जबकि जिस व्यक्ति ने आम मुख्तयार की हैसियत से वकालतनामा पेश किया है, वह जोधपुर में खेतानाडी के पास रहने वाला है । रेस्पोडेन्ट सख्या एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, जबकि जिस व्यक्ति को आम मुख्तयार मुकर्रर किया जाना बताया है वह श्रवण जाति का है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर रेस्पोडेन्ट संख्या एक को अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि में मनमाने ढंग से प्रवेश कर निर्माण करने का लाईसेन्स दिया है, जबकि मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियो को देखते हुए वाद प्रस्तुतीकरण के दिन की स्थिति को यथावत रखे जाने का आदेश दिया जाना चाहिये था। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 मई 2024 को निरस्त किया जावे एवं माफिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 178/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/300) बअनवान डां. दिलीप कच्छवाह व अन्य बनाम महावीर इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जावे।

जवाब में रेस्पो. अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा वादग्रस्त आराजी पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये सड़क पर अवस्थित भूमि खरीद की है तथा मौके पर काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजी की वर्तमान तरमीम भी खरीद के मुताबिक की हुई है। अपीलांट द्वारा द्वारा जिस व्यक्ति से भूमि खरीद की गई है, उस व्यक्ति ने भूमि सड़क से आधा कि.मी. दूर खरीद की है, जिसकी पुष्टि रजिस्ट्री की प्रति से होती है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 05.11.2008 जो तत्समय के खातेदार तेजाराम पुत्र मघाराम एवं भीयाराम पुत्र जेठाराम द्वारा क्रेता चम्पालाल पुत्र सुखराम के पक्ष में निष्पादित किया गया है, में वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 416/21 को मुख्य सड़क से आधा किलोमीटर दूर बताया गया है तथा आवागमन हेतु रास्ते का भी अभाव बताया गया है। इसके विपरीत क्रेता चम्पालाल द्वारा वादग्रस्त आराजी अपीलांट्स को बेचान करते वक्त पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 19.09.2013 में वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 416/21 रकबा 15 बीघा को जोधपुर से नागौर जाने वाली 200 फीट मुख्य सड़क पर स्थित होना बताया गया है

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जो स्थिति पूर्व विक्रय विलेख के विपरीत है।

इसी प्रकार रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा प्रस्तुत पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 28 मई 2012 जो अपीलांट्स के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय विलेख से पहले निष्पादित हुआ है, में वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 416/74 रकबा 05 बीघा, खसरा नंबर 416/133 रकबा 05 बीघा, खसरा नंबर 416/134 रकबा 05 बीघा खसरा नंबर 416/135 रकबा 05 बीघा कुल रकबा 20 बीघा मुख्य सड़क पर स्थित होना बताया गया गया है तथा रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा वादग्रस्त आराजी का कब्जा भी उसी अनुसार प्राप्त किया जाने का उल्लेख किया गया है।

विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की मौके की स्थिति बाबत आदेश दिनांक 28.02.2020 के जरिये तलब मौका रिपोर्ट दिनांक 20.03.2020 में भी खसरा नंबर 416/74 रकबा 05 बीघा, खसरा नंबर 416/133 रकबा 05 बीघा, खसरा नंबर 416/134 रकबा 05 बीघा खसरा नंबर 416/135 रकबा 05 बीघा कुल रकबा 20 बीघा मुख्य सड़क पर स्थित होना बताया गया गया है। उक्त तथ्यों से अपीलांट्स का मुख्य सड़क पर कब्जा काश्त साबित होना नहीं पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध विक्रय विलेखों एवं मौका फर्द के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 मई 2024 यथावत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 178/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/300) बअनवान डां. दिलीप कच्छवाह व अन्य बनाम महावीर इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रखा जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर